कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : R/202 —/सम्ब.अनु./2023

दिनांक : 25/03/2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
अम्बकेश्वर कालेज ऑफ हायर स्टडीज,
कठवारा, बक्शी का तालाब, लखनऊ।

विषय : नवीन महाविद्यालय/पाठ्यक्रम/विषय की स्थापना/संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002, दिनांक 09.08.2012 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अम्बकेश्वर कालेज ऑफ हायर स्टडीज, कठवारा, बक्शी का तालाब, लखनऊ में बी०सी०ए० एवं बी०कॉम० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी गयी है जिनकी पूर्ति सहयुक्तता से पूर्व अपेक्षित होगी :–

1. संदर्भित पाठ्यक्रम का संचालन विश्वविद्यालय से सहयुक्तता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा। सहयुक्तता प्राप्त किये बिना छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। यदि कोई महाविद्यालय सहयुक्तता प्राप्त किये बगैर प्रवेश की कोई कार्यवाही करेगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
2. उपर्युक्त पाठ्यक्रम की सहयुक्तता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान शासनादेश संख्या– 3075/सत्तर–2–2002–2 (166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर, 2002, शासनादेश संख्या–3411/सत्तर– 2–2002–2(166)/2002, दिनांक 11 अक्टूबर, 2002, शासनादेश संख्या–193/सत्तर–2–2003–2 (166)/2002, दिनांक 13 जनवरी, 2003, शासनादेश संख्या–565यु.म./सत्तर–2–2005–2 (166)/2002, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 तथा शासनादेश संख्या–743यु.म./सत्तर–2–2006–2 (166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर, 2006 तथा समय–समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर लेगी।
3. सन्दर्भित संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो शासन से मांग करेगा और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी राज्य सरकार की होगी। संस्थान के किसी दायित्व से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।
4. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता, सहयुक्तता से पूर्व संस्थान द्वारा की जायेगी।
5. संदर्भित पाठ्यक्रम में स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सहयुक्तता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
6. सदर्भित पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम कठवारा, बक्शी का तालाब, लखनऊ स्थित भूमि गाटा संख्या : 2064, 2065, 2071, कुल रकबा 11320 वर्गमीटर में मानकानुसार निर्मित भवन में संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सहयुक्तता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।
7. ट्रस्ट/सोसाइटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधित अन्तरित कर दी जायेगी।
8. सहयुक्तता के समय महाविद्यालय में मानकानुसार विश्वविद्यालय से प्राचार्य व शिक्षक अनुमोदित होना आवश्यक है।

कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

25-3-23

(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संख्या : /सम्बद्धता/2023, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आशियाना, लखनऊ।
3. गार्ड फाइल।

कुलसचिव